

—:: कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.) ::—

// ज्ञापन //

11 MAY 2024

क्रमांक 4778/एक-6-30/11  
प्रति,

उज्जैन, दिनांक मई, 2024

समस्त न्यायाधीशगण  
जिला उज्जैन

विषय :- प्रकरणों का भौतिक सत्यापन के संबंध में।  
संदर्भ :- माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर का ज्ञापन क्रमांक सी/3379  
दिनांक 27.04.2024

-----0000-----

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर द्वारा संदर्भित ज्ञापन के माध्यम से आंकड़ों की शुद्धता के लिये प्रकरणों का भौतिक सत्यापन किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।


अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने न्यायालय में लंबित सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों का सी.आई.एस. की सूची से मिलान कर भौतिक सत्यापन करें तथा निम्नानुसार जानकारी मय प्रमाणीकरण के दिनांक 01.06.2024 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें ताकि माननीय उच्च न्यायालय को समयावधि में जानकारी प्रेषित की जा सके -

भौतिक सत्यापन में दिनांक 31.05.2024 को कुल प्रकरणों की संख्या	दिनांक 31.05.2024 को सी.आई.एस. में उपलब्ध प्रकरणों की संख्या	भौतिक सत्यापन में पाई गई विसंगतियों के संबंध में टिप्पणी
सिविल -	सिविल -	सिविल -
आपराधिक -	आपराधिक -	आपराधिक -
कुल योग -	कुल योग -	कुल योग -

**प्रमाणीकरण**

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा न्यायालय में लंबित प्रकरणों का सी.आई.एस. की सूची से मिलान कर भौतिक सत्यापन किया गया तथा भौतिक सत्यापन पश्चात् दिनांक 31.05.2024 की स्थिति में मेरे न्यायालय में सिविल प्रकरणों की संख्या ..... एवं आपराधिक प्रकरणों की संख्या ..... है। इस प्रकार कुल लंबित प्रकरणों की संख्या ..... है।

सील एवं हस्ताक्षर

  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
उज्जैन (म.प्र.)